




राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक प.7(38)परि/नियम/मु./2011/05

जयपुर, दिनांक: 2/2/2021

संशोधित कार्यालय आदेश 2/2021

कार्यालय आदेश 01/2021 दिनांक 01.02.2021 में आंशिक संशोधन कर यह आदेशित किया जाता है कि जिला परिवहन कार्यालय, विद्याधर नगर में स्थायी लाईसेंस हेतु चालन परीक्षण की प्रक्रिया पूर्व की भांति यथावत् रहेगी।

  
(रवि जैन)


शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांक प.7(38)परि/नियम/मु./2011/05

जयपुर, दिनांक: 2/2/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)